न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, नोहर (हनुमानगढ़)

(पीठासीन अधिकारी गुंजन सोनी आर.ए.एस.)

अपील प्र0 सं0 24 / 2019

1. रजिराम पुत्र डुंगरराम जाति सुथार निवासी पूरबसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

– अपीलांट

बनाम्

1. चुन्नीदास
2. बृजमोहन
3. भगवानदास
4. लालचन्द

पि0 शेरदास जाति स्वामी निवासी ढाणी मायला तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

–असल रेस्पोडेन्टस्

6. अन्जु देवी पत्नी रामस्वरूप जाति जाट साकिन ढाणी मायला तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
7. मनीता देवी पत्नी देवेन्द्र कुमार जाति जाट साकिन ढाणी मायला तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
8. गीता देवी पत्नी हरचन्द जाति स्वामी साकिन ढाणी मायला तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
9. जयलाल पुत्र श्योचन्द जाति जाट साकिन ढाणी मायला तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
10. दलीप कुमार पुत्र भागीरथ जाति स्वामी साकिन ढाणी मायला तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
11. पूर्णराम पुत्र भागीरथ जाति स्वामी साकिन ढाणी मायला तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
12. बिमला पत्नी रणजीत जाति स्वामी साकिन ढाणी मायला तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
13. भूप पुत्र भागीरथ जाति स्वामी साकिन ढाणी मायला तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
14. भंवरलाल पुत्र भागीरथ जाति स्वामी साकिन ढाणी मायला तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
15. मनोहरी पत्नी गंगाराम जाति जाट साकिन ढाणी मायला तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
16. रामस्वरूप पुत्र श्योचन्द जाति जाट साकिन ढाणी मायला तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

212

17. लीलाधर पुत्र हरचन्द जाति स्वामी साकिन ढाणी मायला तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
18. शुभकरण पुत्र हरचन्द जाति स्वामी साकिन ढाणी मायला तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

– तरतीबी रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 04.09.2019 प्रकरण स0 19/1069 बअदालत तहसीलदार राजस्व रावतसर अपास्त किये जाने बाबत।

उपस्थितिः– श्री मदनमोहन जोशी अधिवक्ता, अपीलांट
श्री मोडूराम अधिवक्ता, रेस्पोडेंट

निर्णय **दिनांक :**

संक्षेप में अपील अपीलांट की ओर से निम्न प्रकार से हैं :–

1. अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.09.2019 प्रकरण स0 19/1069 तहसीलदार राजस्व रावतसर विधि की अवहेलना में पारित किया गया है जो अपास्तनीय है।
2. मातहत अदालत के समक्ष रास्ता संबंधि कोई प्रकरण दर्ज नही था ना ही कोई पत्रावली मुर्तिब की गई केवल भगवानदास पुत्र शेरदास जाति स्वामी निवासी मायला तहसील रावतसर रेस्पो0 स0 3 ने मातहत अदालत के समूख एक प्रार्थना पत्र रास्ता खुलवाने बाबत प्रस्तुत किया कि प्रार्थी उसके भाईयों के नाम से रोही मौजा ढाणी मायला तहसील रावतसर के ख0न0 584 की 3.3540 हैक्ट, ख0न0 585 की 4.2110 हैक्ट, ख0न0 588 की 2.0230 हैक्ट, ख0न0 589 की 5.2480 हैक्ट, ख0न0 615 की 1.9220 हैक्ट, ख0न0 706 की 0.0630 हैक्ट, ख0न0 707 की 1.6690 हैक्ट, ख0न0 740 की 2. 5290 हैक्ट, ख0न0 741 की 0.3160 हैक्ट कुल तादादी 18.3350 हैक्ट बारानी भूमि है प्रार्थी की कृषि भूमि में से अप्रार्थी रजिराम पुत्र डुंगरराम जाति सुथार निवासी पूरबसर तहसील रावतसर के ख0न0 607 व अंजुदेवी वगैरहा की ख0न0 614 में होकर ख0न0 615 में अपनी कृषि भूमि में प्रवेश करता है। प्रार्थी एवं उसके भाईयों का ख0न0 614 व 607 में से होकर पुराना रास्ता चला आ रहा है आदि–आदि प्रस्तुत कथन किया कि उक्त बंद रास्त को खुलवाया जावें। जिस पर पटवारी हल्का से दिनांक 12.06.19 को रिपोर्ट मंगवाई गई लेकिन उक्त रिपोर्ट दिनांक 12.06.19 में कोई रास्ता नही दर्शाया गया ना ही पटवारी हल्का ने ख0न0 607,614 में कोई रास्ता दर्ज किया फिर भी मातहत अदालत ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 04.09.19 को

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया जो विधि की अवहेलना में पारित होने से अपास्तनीय है।

3. वाद भूमि जमाबंदी खाता स0 4/3 ढाणी मायला तहसील रावतसर के ख0न0 614 संयुक्त खाता की भूमि है। जिसकी रेस्पो0 स0 6 व 7 खातेदार काश्तकार है मातहत अदालत ने उक्त रेस्पो0 स0 6 व 7 को पक्षकार ही नही बनाया व नोटिस तक नही दिया इसी प्रकार से खाता स0 234 में 12 खातेदार काश्तकार है तथा ख0न0 607 संयुक्त खाते की भूमि है उक्त जमाबंदी खाता संख्या 4/3 व खाता सं0 234 में कोई रास्ता स्वीकृत शुद्वा नही है। मातहत अदालत ने दोनो खातेजात की भूमि में रास्ता मंजूर शुद्वा नहीं होने के बावजूद रास्ता खुलवाने का आदेश विधि की घोर अवहेलना में पारित किया है जो अपास्तनीय है क्योंकि संयुक्त खाता की भूमि में रास्ता स्वीकृत होने के बावजूद मातहत अदालत ने रास्ता खुलवाने का जो आदेश पारित किया है वो गैर कानूनी है इसलिए अपीलाधीन निर्णय अपास्तनीय है।

4. मातहत अदालत ने संयुक्त खाता के पक्षकारों को नोटिस नही दिया तथा यहां तक कि उन्हें पक्षकार ही नही बनाया गया बिना किसी सुनवाई नैसर्गिक न्याय की अवहेलना में पारित किया है जो अपास्तनी है।

5. अपीलाधीन निर्णय नैसर्गिक न्याय की अवहेलना में पारित किया है राजस्व रिकार्ड जमाबंदी हाल में कोई मंजुर शुद्वा रास्ता नही है तथा ख0न0 614 व 607 संयुक्त खाता की भूमि है जिसमें कोई रास्ता मंजुर शुद्वा नही है किस पक्षकार के खाता में व हिस्सा में से कितना भूमि आती है मातहत अदालत ने स्पष्ट नही किया है तथा जमाबंदी के समस्त पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिये बिना ख0न0 614 व 607 में रास्ता निकालने के आदेश गैर कानूनी है तथा ख0न0 607 में मौका एवं पटवारी हल्का के अनुसार दिनांक 12.06.19 को रिपोर्ट पेश की गई जिसमें मौके पर कब्जा काश्त है यानि ख0न0 614 व 607 में काश्त है तथा संयुक्त खाता की भूमि है तथा ख0न0 607 में संयुक्त खाता की भूमि है। जिसमें भी रास्ता दर्ज नही है तथा मौके पर काश्त दर्ज है। राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि में कोई रास्ता नहीं है मातहत अदालत ने उपरोक्त कानूनी बातों को नजर अन्दाज कर गैर कानूनी ढंग से निर्णय पारित किया है जो अपास्तनीय हैं

6. मातहत अदालत के आदेश की पालना में ढाणी मायला में ख0 न0 607 व 614 के पश्चिम पासा पर दक्षिण से उतर 0.0150 हैक्ट भूमि में चालू रास्ते को पटवारी

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

Web Copy - Not Official

हल्का को साथ लेकर खुलवाने के आदेश पारित किये है जबकि मौके पर कोई चालू रास्ता नही है इसके अतिरिक्त रेस्पो0 ने न्यायालय उपखण्डाधिकारी रावतसर के यहा धारा 251–ए के तहत रास्ता स्वीकृति हेतु आवेदन कर रखा है जिसमे अभी तक अपीलान्ट व अन्य तरतीबी रेस्पो. ने कोई जवाब प्रार्थना पत्र पेश नही किया है पत्रावली जवाब दर हेतु जैरकार है जब तक रास्ता एस.डी.ओ. रावतसर द्वारा स्वीकृत नहीं किया जाता है तब तक मातहत अदालत को रास्ता खोलने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है इसलिए अपीलाधीन आदेश गैर कानूनी एवं अपास्तनीय है।

7. राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत रास्ता बंद होने पर ही तहसीलदार रास्ता खुलवाने की कार्यवाही कर सकता है यदि राजस्व रिकार्ड में रास्ता स्वीकृत नही है तो मातहत अदालत को राजस्व रिकार्ड के विपरित रास्ता खोलने का अधिकार नही है फिर भी मातहत अदालत ने विधि की अवहेलना में क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर विधि विरूद्ध अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जो अपास्तनीय है।

अतः अपील अपीलांट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.09.2019 प्रकरण स0 19/1069 बअदालत तहसीलदार (राजस्व) रावतसर तहसील रावतसर अपास्त फरमाया जावें।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टस की तलबी की गई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थी अनुपस्थित। बार–बार आवाज लगाई गई फिर भी अधिवक्ता अप्रार्थी उपस्थित नही आयें। बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मिमो के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की मातहत अदालत ने दोनों खातों की भूमि में रास्ता मंजुद शुदा नहीं होने के बावजूद रास्ता खुलवाने का आदेश विधि की घोर अवहेलना में पारित किया है जो की अपास्तनीय है क्योंकि संयुक्त खाता की भूमि में रास्ता स्वीकृत ना होने के बावजूद मातहत अदालत ने रास्ता खुलवाने का जो रास्ता खुलवाने का जो आदेश पारित किया है वो गैर कानूनी है इसलिए अपास्तनीय है। मातहत अदालत के द्वारा संयुक्त खाता के काश्तकारों को पक्षकार नही बनाया गया है तथा मातहत अदालत द्वारा बिना किसी सुनवाई एवं न्याय की अवहेलना में निर्णय पारित किया गया है। राजस्व रिकार्ड में जब रास्त ही नही है तथा स्वीकृत शुदा भी नहीं है तो ऐसी स्थिति में राजस्व रिकार्ड के विरूद्ध जाकर मातहत अदालत को रास्ता खुलवाने का कोई अधिकार नहीं है। अपील अपीलांट स्वीकार फरमावें।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

जिला हनुमानगढ़।

Web Copy - Not Official

बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध कार्यालय तहसीलदार (राजस्व) रावतसर के पत्रांक 1069 दिनांक 04.09.2019 की प्रमाणित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ढाणी मायला के खसरा न0 614 व खसरा न0 607 में पश्चिम पासा पर दक्षिण से उत्तर 0.0150 हैक्टयर लम्बा पूर्व में चालू रास्ते को खुलवाया गया है जो की विधिसम्मत प्रतित होता है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारीज की जाती है।

अधिनस्थ न्यायालय को अभिलेख मय निर्णय प्रति लौटायी जावें। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दफ्तर दाखिल हों।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 25.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(गुंजन सोनी आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
नोहर (हनुमानगढ)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
नोहर (हनुमानगढ)